


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय विषय व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमति (रा.उ.मा.वि.)	जन्म तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	फतहचन्द गुप्ता व्या० वाणिज्य, राउमावि किशनगढ़बास-अलवर	04.06.1957	आरवीआर ईएस	01.10.1996	II	15600-39100	6000	01.10.2016
02	लखवीर सिंह व्या० इतिहास, राउमावि केसरीसिंहपुर-गंगानगर	12.11.1965	डीपीसी	06.07.1996 व०अ०	II	9300-34800	5400	06.07.2016
03	श्री बजरंगलाल नवल व्या० इतिहास, राउमावि मोहनपुरा सांगानेर-जयपुर	11.06.1972	डीपीसी	11.12.1996 व०अ०	II	9300-34800	5400	11.12.2016
04	बलवंत सिंह यादव, व्या० इतिहास, राउमावि मालाखेड़ा-अलवर	06.12.1949	डीपीसी	06.10.1978 व०अ०	III	9300-34800	5400	06.10.2008

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। आरवीआरईएस कार्मिक को एरियर का भुगतान राज्य सेवा में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।


(नथमल डिलेन)

आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/वाणि-इति/16-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

01-संबन्धित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

02-संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)


03-सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु

04-संबन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि,

05-संबन्धित व्याख्याता

06-रक्षित पत्रावली

दिनांक- 28/7/2017


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)